

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

8/3/16 वकील शर्मा व स्वयं शर्मा हाजिर नहीं। शर्मा शर्मा की ओर
से कोई उपस्थित नहीं। वकील वादी व वादी को प.प.उ.केज अदालत
उठने तक आवाजे दिलाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई अदालत
उपस्थित नहीं आया अतः पत्रावली अदम्य पैरवी अदम्य हाजिरी
में खारिज किया जाता है। पत्रावली क्रैमल शुमार होकर नम्बर
से कम हो। बाद दफ्तर सम्बल हो। Au

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

